मंत्रिमंडल ने दूरसंचार, रक्षा और खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने की मंज़ूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार और रक्षा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने तथा मल्टी ब्रैंड रिटेल कंपनियों के लिए निवेश संबंधी शर्तों में छूट देने को मंज़ूरी दे दी है। इस कदम का लक्ष्य चालू खाता घाटा द्वारा पैदा हुई चुनौती का सामना करना है। इन फैसलों में दूरसंचार क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा मामले-दर-मामले के आधार पर रक्षा क्षेत्र में मौजूदा 26 प्रतिशत से अधिक के एफडीआई की स्वीकृति शामिल है।

मंत्रिमंडल ने मल्टी बैंड रिटेल में कंपनियों को उन शहरों में भी आउटलेट खोलने की स्वीकृति दी है जिसमें 2011 गणना के अनुसार जनसंख्या 10 लाख से कम है। इससे पहले के प्रस्ताव में विदेशी रिटेलर केवल 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों में ही आउटलेट खोल सकते थे।

इसके अतिरिक्त सोर्सिंग (सेवाओं या वस्तुओं की आपूर्ति की खोज के लिए प्रक्रिया) और अनिवार्य बैक-एंड ढांचे के नियमों में भी छूट दी गई है। इसके तहत विदेशी निवेशक, आपूर्तिकर्ता का सकल कारोबार एक मिलियन डॉलर से अधिक होने के बाद भी उन्हीं छोटे और मझौले उद्यमों से माल लेते रहेंगे । इस सीमा को दोगुना कर 2 मिलियन डॉलर कर दिया गया है।

खुदरा, दूरसंचार में प्रत्यक्ष विदेशी नियमों में ढील

चालू खाता घाटा को कम करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अर्थव्यवस्था में नए प्रोत्साहन को मंज़ूरी

खुदरा

- मल्ट्री बैंड रिटेल में अनिवार्य 30 प्रतिशत स्थानीय सोर्सिंग नियम में ढील, केवल पहली बार शामिल होने के लिए लागू
- सिंगल ब्रैंड रिटेल में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; 49 प्रतिशत स्वत: होगा, 49 प्रतिशत एफआईपीबी के माध्यम से

दूरसंचार

- सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर शत-प्रतिशत; 49 प्रतिशत तक स्वत: हो जाएगा, उससे अधिक एफआईपीबी के ज़रिए

पेट्रोलियम

- पेट्रोलियम रिफाइनिंग में 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पहले के स्वीकृत माध्यम के बजाये स्वत: ही होगा

बिजली

- पावर एक्सचेंज में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पहले के एफआईपीबी के माध्यम के बजाये स्वत: ही होगा

वित्त

- क्रेडिट सूचना कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत
- स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरीज़ में 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वत: ही होगा

रक्षा

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत तक ही रहेगी, सीसीएस मामले-दर मामले के आधार पर आधुनिक प्रौद्योगिकी के संबंध में अधिक निवेश पर विचार कर सकती है

नियंत्रण: विलय और अधिग्रहण के मामले जिसमें विदेशी कंपनियों शामिल हैं उसके लिए 'नियंत्रण' की परिभाषा का 'विस्तार' किया गया है ताकि विदेशी निवेशकों को अधिक स्पष्टता उपलब्ध कराई जा सके। यह संशोधन प्रत्याशित रहेगा। 'नियंत्रण' की परिभाषा (उदाहरण के तौर पर) जेट-एतिहाद सौदे में अनिश्चित है।

सरकार ने बैक-एंड निवेश नियमों मे भी छूट दी है। विदेशी निवेशकों को बैक-एंड ढांचे में अब अपने निवेश के पहले भाग से केवल 50 मिलियन डॉलर निवेश करने की ज़रूरत है और उसके बाद किए के निवेश में नहीं।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में 'नियंत्रण' की नई परिभाषा को मंज़ूरी दे दी है।

यह नई परिभाषा भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले कुल विदेशी निवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा के मुद्दे को भी हल करेगी। औद्योगिक नीति और संवर्धन (डीआईपीपी) विभाग द्वारा प्रस्तावित नई परिभाषा के अनुसार नियंत्रण के तहत 'हिस्सेदारी या प्रबंधन अधिकार या शेयर धारक समझौते या मतदान अधिकारों के ज़रिए प्रबंधन या नीतिगत निर्णय में नियंत्रण के लिए अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार शामिल होगा।'

(समाचार पत्रों की जानकारी के साथ संपादकीय टीम द्वारा)